

हार गजट असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

20 कार्तिक 1946 (श0)

(सं0 पटना 1062) पटना, सोमवार, 11 नवम्बर 2024

निर्वाचन विभाग

अधिसूचना 11 नवम्बर 2024

संo बी1-3-178/2024-84-बिहार विधान परिषद् के तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के उप निर्वाचन, 2024 से संबंधित भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली की अधिसूचना संख्या-100/बिहा.-वि.प. / 12 / 2024-जी &टी दिनांक 11.11.2024 (हिन्दी एवं अंग्रेजी प्रति में) सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती है।

> बिहार-राज्यपाल के आदेश से, मिथिलेश कुमार साहु, संयुक्त सचिव।

भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचना

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली – 110001/दिनांक: 11 नवम्बर, 2024 / कार्तिक 20, 1946(शक)

सं. 100/बिहा.-वि.प./12/2024-जी&टी:- यतः, बिहार राज्य की विधान परिषद् के लिए तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित श्री देवेश चन्द्र ठाकुर, का स्थान उनकी पदावधि, जो कि 16.11.2026 सहित उस तारीख तक थी, के समाप्त होने से पूर्व उनके त्यागपत्र देने के कारण 15.06.2024 से रिक्त हो गया है; और

यतः, इस प्रकार हुई रिक्ति को भरने के प्रयोजन से एक उप निर्वाचन आयोजित किया जाना है;

अतः, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 151, धारा 30 और धारा 56 के अनुसरण में, निर्वाचन आयोग एतदद्वाराः-

(अ) बिहार राज्य के तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से यह अपेक्षा करता है कि वे 12 दिसम्बर, 2024 (गुरुवार) से पूर्व तथा उक्त अधिनियम और तदधीन बनाए गए नियमों और उनके तहत जारी किए गए आदेशों के उपबन्धों के अनुसार राज्य की विधान परिषद में उक्त रिक्ति को भरने के प्रयोजन से एक व्यक्ति निर्वाचित कर दें:

(आ) उक्त निर्वाचन के संबंध में:-

(क) नाम निर्देशित करने की अन्तिम तारीख – 18 नवम्बर, 2024 (सोमवार);

(ख) नाम निर्देशन की संवीक्षा की तारीख– 19 नवम्बर, 2024 (मंगलवार);

(ग) अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अन्तिम तारीख – 21 नवम्बर, 2024 (गुरुवार);

(घ) वह तारीख जिसको यदि आवश्यक हुआ तो मतदान होगा – 05 दिसम्बर, 2024 (गुरुवार); और

(इ.) वह तारीख जिससे पूर्व निर्वाचन सम्पन्न करा लिया जाएगा – 12 दिसम्बर, 2024 (गुरुवार);

नियत करता है; और

(इ) 08:00 बजे पूर्वाह्न से 04:00 बजे अपराह्न तक का समय उस समय के रूप में नियत करता है जिसको, यदि आवश्यक हुआ तो, विनिर्दिष्ट तारीख को मतदान होगा।

> आदेश से, सुमन कुमार दास, सचिव।

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NOTIFICATION

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi. Dated 11th November, 2024 / Kartika 20, 1946 (Saka)

No.100/BR-LC/12/2024-G&T—WHEREAS, the seat of **Shri Devesh Chandra Thakur** in the Legislative Council of the State of Bihar, elected from Tirhut Graduates' Constituency has become vacant on 15th June, 2024 by the reason of his resignation, before the expiration of his term of office which was up to and including 16.11.2026; and

WHEREAS, a bye-election is to be held for the purpose of filling the vacancy so caused;

NOW, THEREFORE, in pursuance of Section 151, Section 30 and Section 56 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission hereby-

- (A) calls upon the Tirhut Graduates' Constituency, in the State of Bihar to elect, before 12th December, 2024 (Thursday), and in accordance with the provisions of the said Act and of the rules and orders made thereunder, a person for the purpose of filling the said vacancy in the Legislative Council of the State; and
- **(B)** appoints, with respect to the said election;
 - (a) the 18th November, 2024 (Monday), as the last date for making nominations;
 - (b) the 19th November, 2024 (Tuesday), as the date for the scrutiny of nominations;
 - (c) the 21st November, 2024 (Thursday), as the last date for the withdrawal of candidatures;
 - (d) the 05th December, 2024 (Thursday), as the date on which a poll shall, if necessary, be taken; and
 - (e) the 12th December, 2024 (Thursday), as the date before which the election shall be completed; and
- (C) fixes the hours from 08:00 am to 04:00 pm, as the hours during which the poll shall, if necessary, be taken on the date specified above for the election.

By order SUMAN KUMAR DAS, SECRETARY.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित। बिहार गजट (असाधारण) 1062-571+50-डी0टी0पी0।

Website: http://egazette.bih.nic.in